

दूरभाष/Phone: +91-7564-234729

ईमेल/Email: fmti-mp@nic.in

फैक्स/Fax: +91-7564-234743

वेबसाइट/website: fmttibudni.gov.in



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION & FARMERS' WELFARE)

ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प्र.)

TRACTOR NAGAR P.O., BUDNI (M.P.) 466 445



संख्या :17-1/2017-स्थापना

दिनांक: 18.08.2017

विज्ञापन

संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों को पूर्णतः संविदा के आधार पर प्रारंभिक छः माह कार्य करने के लिए लिखित/मौखिक साक्षात्कार हेतु अपने पूरा बायोडाटा के साथ निर्धारित नीचे दर्शाई तिथि को निदेशक, केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कार्यालय में उपस्थित होना होगा।

क्र.	अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव	कार्य की प्रकृति	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	मासिक नियत पारिश्रमिक	निर्धारित तिथि
1.	(क) 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। (ख) अंग्रेजी टाइपिंग गति 30 श.प्र.मि. तथा हिंदी टाइपिंग गति 25 श.प्र.मि. होना आवश्यक। (ग) कंप्यूटर प्रचालन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। (घ) संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।	परीक्षण, प्रशिक्षण, लेखानुभाग, क्रय अनुभाग से संबंधित पत्राचार का कार्य। स्थापना, भवन निर्माण से संबंधित पत्राचार में सहायता करना, टंकण का कार्य। कंप्यूटर प्रचालन और प्रभारी अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य।	04	रुपये 7600 से 11000 तक प्रति माह (तदनुसार समिति द्वारा तय किया जाएगा।)	29.08.17

**शर्तें-**

- यदि अभ्यर्थी को संस्थान में उपरोक्त कार्य के लिए ऑफर दिया जाता है तो कार्यरत होते समय या 10 दिन के अंदर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ग्रुप में/व्यक्तिगत रूप से बीमा कराने का प्रमाण-पत्र देना होगा। अन्यथा प्रमाण-पत्र नहीं देने पर शपथ-पत्र संलग्न कर उसमें यह दर्शाया जाये कि कार्यरत होने के 1 महीने के अंदर इंश्योरेंस का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
- कार्य के समय कोई भी अप्रिय घटना होती है तो इसका जिम्मेदार स्वयं अभ्यर्थी होगा।
- आय कर/सेवा कर इत्यादि नियमों का स्वयं अभ्यर्थी को पालन करना होगा।
- साक्षात्कार के लिए कोई भत्ता तथा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी।
- चयन होने पर शासकीय मकान व अन्य सुविधा नहीं दी जा सकती है तथा नियमित नहीं किया जा सकता है। यह अवधि शुरू में 6 माह होगी तथा आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकता है।
- निदेशक महोदय को अधिकार सुरक्षित रहेगा कि किसी भी समय नियुक्ति बिना सूचना के रद्द की जा सकती है।

प्रतिलिपि: वरिष्ठ उपकरण अभियंता- संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

012

निदेशक